निगरानी 2289-II-15

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी

दिनाँक 20-7-15 को श्री क्रमा० को० द्वारा प्रस्तुत।
20-7-15 (S.K. Khare)

श्रीमती पिंकी श्रीवास्तव पत्नि श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव
आयु–37 वर्ष व्यवसाय–गृहकार्य
निवासी–मुडियन का कुँआ,दतिया जिला दतिया
.......आवेदिका

बनाम

1– श्रीमती चन्द्र प्रभा पत्नि श्री ईश्वर सिंह दांगी
आयु– 38 वर्ष
2– विक्रम सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप दांगी
आयु–36,
3– हरीशंकर पुत्र श्री सीताराम श्रीवास्तव
निवासीगण–ग्राम वहादुरपुर जिला दतिया
........अनावेदकगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 10/07/2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय दतिया जिला दतिया (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 41/अपील/14.–15 में पारित कर निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता दिनांक 18/05/2015 निरस्त किया है और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।**

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

### संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा निगरानीकर्ता एवं अनावेदक कमांक 3 के विरूद्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता के हक में किया गया नामान्तरण आदेश 15/05/14 निरस्त कियें जाने की मांग की।

2– यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा विवादित सम्पत्ति वजरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 03/05/14 कय की गई जिस हेतु निगरानीकर्ता द्वारा जनवरी 2012 को अनुबन्ध किया गया था। जिसके पालन में विकयपत्र सम्पादित किया गया है। कय करने के पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत तहसीलदार महोदय के समक्ष नामान्तरण हेतु कार्यवाही की गई जिसमे विधिक प्रकिया अपनाई जाकर निगरानीकर्ता का दिनांक 15/5/14 को नामान्तरण किया गया।

3– यह कि, नामान्तरण आदेश का अमल भी किया जा चुका है । नामान्तरण प्रकिया में अनावेदक कमांक 1 व 2 पक्षकार नही थे। उसके वावजूद अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की ।

... किये गये नामान्तरण आदेश दिनांक 15/05/14 के ... स्पष्ट है कि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2289–दो/2015 जिला दतिया

पिंकी श्रीवास्तव विरूद्ध चन्द्रा प्रभा आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30–7–2015 | आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया जिला दतिया के प्रकरण कमांक 41/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10–07–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।<br>2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 एवं 2 ने आवेदक तथा अनावेदक कमांक 3 के विरूद्ध अपील पेश की। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन पेश कर इस आधार पर निरस्त किया कि विवादित भूमि के दो रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित हुये हैं, अपीलांट (अनावेदक कं 1 एवं 2) द्वारा भी भूमि कय की गई है जिस कारण वह हितबद्ध पक्षकार हैं तथा अपील कर सकते हैं। चूंकि दोनों ही पक्षों ने विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया है और मामला नामांतरण से संबंधित है इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार मानकर | |

आवेदक का धारा 32 का आवेदन निरस्त कर अपील को ग्राह्य करने के आदेश दिये हैं। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को साक्ष्य के लिए नियत करने में त्रुटि की है क्योंकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 30–12–2011 को हुये नवीन संशोधन के धारा 49(3) के अनुसार ''पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझेः''। स्पष्ट है अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण साक्ष्य के लिए नियत करने में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोषों पर अपील का निराकरण किया जाएगा। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य